न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज.
लोक अदालत शिविर–घाणेराव

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 50/2006
दायर तिथि :– 17.06.2006
निर्णय दिनांक :– 11.05.2018

वादीगण :–

1. मुलाराम पुत्र जेठाजी
2. मोहनलाल पुत्र जेठाजी
   जाति–मेघवाल निवासी– घाणेराव
   तहसील–देसूरी जिला–पाली, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी
2. ग्राम पंचायत , घाणेराव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत घाणेराव

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उपस्थिति :–

1. वादी मुलाराम व मोहनलाल।
2. तहसीलदार देसूरी – प्रतिवादी।

–: निर्णय :– **दिनांक :–11.05.2018**

वादीगण ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थाान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

वादग्रस्त भूमि मौजा घाणेराव तहसील देसूरी में स्थित हाल ख.न. 1783 रकबा 0.57 हे., ख.सं. 1784 रकबा 0.47 हे. किस्म बा.दो. कुल रकबा 1.04 हे. कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी व आधिपत्य की विद्यमान है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता स्व. जेठा का आदिनांक तक लगातार कब्जा– काश्त विद्यमान होने से तथा भूमिहीन होने से राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन नियमों के अन्तर्गत वादीगण के पिता स्व. जेठा को वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा संख्या 701 रकबा 8 बीघा, किस्म बा.दो. को दिनांक 15.02.1983 को श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा आवंटित की गई थी। जिसे वादीगण व उसके पिता स्व. जेठा के नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में जरिये ना.क. संख्या 1726 के दर्ज किया गया व वादीगण के पिता स्व. जेठा के नाम पासबुक जारी की गई। वक्त आवंटन से वादीगण काबिज है। नवीन बन्दोवस्त द्वारा वादग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 701 के नये खसरा नम्बर 1783 व 1784 का मिलान क्षेत्रफल गलत तैयार किया जबकि वादी वादग्रस्त भूमि ख. सं. 1783 व 1784 पर काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

पेज लगातार 2 पर.....

अतः खातेदारी घोषणा का निवेदन किया। प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी ने वादपत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि गत ख.स. 701 में 8 बीघा भूमि वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी। परन्तु वर्तमान खसरा संख्या 1783 व 1784 गत ख.सं. 701 कायम नहीं हुये है। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन तिथि से वादीगण का कब्जा नहीं रहा है। तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत घाणेराव के खाते में दर्ज है। अतः वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी ग्राम पंचायत घाणेराव ने भी अपना जबाव पेश कर वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत घाणेराव के आधिपत्य स्वामित्व की भूमि होना वादी का कब्जा नहीं होना न ही वादी को आवंटित भूमि का कब्जा हस्तांतरण करना बताया। एवं वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एव उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड का अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में ग्राम पंचायत घाणेराव के नाम बतौर गोचर चारागाह के रूप में विद्यमान है। गत खसरा संख्या 701 काफी बडा खसरा था। जिसमें वादी को आवंटित 8 बीघा भूमि का कब्जा किस स्थान पर सुपुर्द किया गया एवं गत नक्शे में दिये गये कब्जे के अनुरूप कहां पर तरमीम की गई कोई अभिलेख वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से हाल ख.सं. 1783 व 1784 गत ख.सं. 707 से कायम किये गये है। गत व हाल नक्शा के अवलोकन से एवं तहसीलदार भूमिधारी के जवाब के अनुसार भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। वादग्रस्त भूमि गोचर पंचायत के नाम दर्ज है व पंचायत के आधिपत्य की भूमि है। जिसमें खातेदारी अधिकार वादी को प्रदत नहीं किये जा सकते है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश सेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादी :–

1. मुलाराम पुत्र जेठाजी
2. मोहनलाल पुत्र जेठाजी
   जाति–मेघवाल निवासी– घाणेराव
   तहसील–देसूरी जिला–पाली, राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी
2. ग्राम पंचायत , घाणेराव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत घाणेराव

दावा बाबत 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
मुकदमा नम्बर :– **80/2006**
निर्णय दिनांक :– **11.05.2018**

वादीगण की ओर से **वादी उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी उपस्थित** में इस वाद में **शिविर – घाणेराव** आज तारीख **11.05.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **11** माह **मई** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी